नसीराबाद
65/17/223 माद्दू (मृ) श्रीमती मांगी v/s राज. सरकार

तारीख पेशी	बनाम 17/00065 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर नसीराबाद नं-2 श्री सीताराम रावत .... श्री राजकीय अभिभाषक-1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

माधू (मृ) मांगी बनाम सरकार

28/9/18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस दिनांक 20.09.2018 को सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.07.2016 को वाद पत्र का निस्तारण कैम्प कोर्ट में कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नही हुई क्योंकि अपीलांट को कैम्प कोर्ट बाबत् नोटिस प्राप्त नही हुए। जब दावे के निर्णय की जानकारी हुई तब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय प्रति प्राप्त कर अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जो जानकारी से अन्दर मियाद हैं इसलिए अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

तत्पश्चात अपीलांट ने अपील बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद में अवस्थित भूमि चौसाला जमाबंदी एवं वर्किक जमाबंदी के खसरा नम्बर 4382 रकबा 03–12–00 के वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 के हाल खसरा नम्बर 5014 रकबा 0.58 वर्किग जमाबंदी के मल खातेदारी वादी माधू पुत्र काना रेगर के नाम साबिक नम्बर 4382 नियमन से वर्किग जमाबंदी में रकबा 03–12–00 का नामान्तकरण संख्या 569 से खातेदारी दर्ज की गई तथा वादी वर्षो से खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वादी का कब्जा व आधिपत्य हैं वजह सबूत वर्किग जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल सलंग्न हैं एवं वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में वादी खातेदार दर्ज था किन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने हक अधिकारों से परे जाते हुए गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से वर्किग जमाबंदी के खातेदार माधू के बजाय त्रुटिपूर्ण एवं गलत रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 5014 सिवायचक अंकर दिया है। जिसे इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी उद्घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। वाद पत्र को दिनांक 21.09.2012 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 30.11. 2012 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा.दी. का पेश किया गया जिस पर प्रकरण में रामकिशन पुत्र सुगना को पक्षकार मुर्तिब किया तत्पश्चात पत्रावल जवाब सरकार में नियत की हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को वादी को बिना नोटिस दिये ही एवं बिना सुनवाई किये कैम्प लोहरवाड़ा में दिनांक 01.07.2016 को खारिज कर दिया। जिसे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नसीराबाद 65/17/223 मादू (मृ.) श्रीमती मांगी बनाम राज. सरकार

17/00065

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत .... श्री राजकीय अभिभाषक-1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निरन्तर	अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया तथा ना ही वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया तथा मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। जबकि दावाकृत भूमि आराजियात वर्किंग खसरा नम्बर 4382 रकबा 03—12—00 का वादी को नियमन किया गया तथा नियमन से वर्किंग जमाबंदी में वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया कि नियमन का आदेश चौसाला जमबांदी व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे महत्वपूर्ण दस्तावेजो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये जो अपास्त योग्य है। विवादित भूमि वादी को नियमन की गई हैं जो नियमन से पूर्व से काबिज काश्त में चली आ रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 01.07.2016 को निरस्त किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का स्वीकार किया जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हैं एवं वादी को अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया है किन्तु वादी द्वारा वाद का साबित करने में असफल रहें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के वाद को खारिज किया गया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अभिभाषकगण की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का राजकीय अभिभाषक ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रार्थना पत्र में अंकित विलम्ब के कारण संतोषजनक होने के कारण एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं। तत्पश्चात अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.07.2016 स्पीकिंग आदेश नहीं हैं उनको विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए था तथा वादीगण/अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2016 निरस्त योग्य एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त आर्ब्जरवेशन (Observation) के आधार पर प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। - - - - - - - - - राजस्व अपील अधिकारी	निरन्तर

अपील संख्या 65 / 2013 (2017 / 00065) / 223

मादू (मृ) श्रीमती मांगी बनाम राज0 सरकार वगैरह

तारीख पशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को उपरोक्त उल्लेखित Observation के क्रम में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए, तनकियात कायम कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	S.D.O 2463 13-11-18 द्वारा